कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा
E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 251335

क्रमांक/मा.चि./2018 रीवा, दिनांक01-08-2019

प्रति,

कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– ग्राम कौआढ़ान तहसील हुजूर के खसरा नं. 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 184/1/3, 184/1/4 का रकबा 1.261 हे. भूमि पर अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टा पत्थर यांत्रिकीय विधि से गिट्टी निर्माण हेतु आवेदक श्री रत्नेश द्विवेदी पिता श्री योगेन्द्र द्विवेदी।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./783/खनिज/2019 रीवा, दिनांक 20.01.2019

———0———

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रकरण का मौका निरीक्षण उप वनमण्डलाधिकारी रीवा के द्वारा किये जाने पर आवेदित क्षेत्र निजी राजस्व भूमि है।

कृपया लीज स्वीकृत करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक है:–

1. उत्खनन पट्टा नवीनीकरण के पूर्व पुनः अनापत्ति/अभिमत लिया जाना आवश्यक है।
2. उक्त आवेदित क्षेत्र म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के पत्र क्र/16 – 10/ 7 –2–ए/90 भोपाल दिनांक 13.01.97 के अन्तर्गत वन की परिभाषा में तो नहीं आता कृपया इसे भी सुनिश्चित करालें।
3. आवेदक को सूचित करें की म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र./एफ/16/18/10/3 दिनांक 05.12.2000 से दिये गये निर्देशानुसार स्वीकृत खदान से आस–पास के दो कि0मी0 की परिधि के वन क्षेत्र से खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा। यदि आस–पास के दो कि0मी0 के वन क्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना खनिज ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मंडलाधिकारी को लिखित में की जावे, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी।
4. यदि खनिज लीज धारक के सहयोग से वनक्षेत्र से अवैध उत्खनन करना पाया गया तो उसी तारीख से अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जावेगा एवं लीज धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
5. कृपया आवेदित क्षेत्र में खदान स्वीकृत होने पर म0प्र0 शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र. /47/99/10–3 भोपाल दिनांक 12 जनवरी 2000 के अनुरूप मौके पर जिला खनिज अधिकारी व संबंधी उप वनमण्डलाधिकारी खदान क्षेत्र का सीमांकन करेंगें। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार के व्यय से सीमेन्ट के पक्के मुनारे बनवाया जाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जायेगे। मुनारे के बनाने पर पुनः खनिज अधिकारी व क्षेत्रीय उप वनमंडलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने और मुनारे सही पाये जाने के पश्चात ही खदान ठेकेदार को खदान क्षेत्र का कब्जा दिया जाएगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं निरस्त माना जाएगा।

Scanned by CamScanner

6. आवेदित स्थल का जी.पी.एस.रीडिंग निम्नानुसार है :–

N 24° 33'00.66"	E 081° 12'24.73"
N 24° 33'01.00"	E 081° 12'23.11"
N 24° 33'02.41"	E 081° 12'23.36"
N 24° 33'02.76"	E 081° 12'22.43"
N 24° 33'04.56"	E 081° 12'23.11"
N 24° 33'04.37"	E 081° 12'23.82"
N 24° 33'07.40"	E 081° 12'24.83"
N 24° 33'07.04"	E 081° 12'26.36"
N 24° 33'04.11"	E 081° 12'25.85"
N 24° 33'02.01"	E 081° 12'25.07"
N 24° 33'01.68"	E 081° 12'26.24"
N 24° 32'59.98"	E 081° 12'25.82"

7. 250 मीटर वन सीमा के भीतर पत्थर फड़ी लगाने या उत्खनित मलवा को एकत्र करने की अनुमति लीज धारकों को नहीं दी जावेगी। उ.प्र. के वनक्षेत्र हेतु भी यह शर्त प्रभावी रहेगी।
8. आवेदित क्षेत्र के समीपस्थ पूर्व में अन्य खदानें संचालित थी जो वर्तमान में बन्द है। अतः बिना वैध अनुमति उक्त खदाने संचालित न हों इसकी जवाबदारी आवेदक संस्था की रहेगी।
9. आवेदक संस्था को निर्देशित किया जाता है कि सूर्यास्त तक ही खदान क्षेत्र में कार्य करें, जिससे वनक्षेत्र में आने–जाने वाले वन्यप्राणियों का आवास एवं आवागमन प्रभावित न हो।
10. ये सुनिश्चित करें कि आवेदित स्थल में कोई छोटे बड़े झाड़ के जंगल तो नहीं है और यदि आवेदित स्थल छोटे बडे झाड़ के जंगल के रुप में अधिसूचित होगी तो अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
11. खनिज का परिवहन किसी भी स्थिति में वनभूमि से नहीं किया जावेगा, यदि वनभूमि से परिवहन किया जाता है तो अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।
12. आवेदित क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र से वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र सिरमौर एवं सेमरिया के निकटतम वनक्षेत्र की दूरी 26 कि.मी. है। एवं जिस कार्य हेतु आवेदन दिया गया है उसके अलावा अन्य कोई कार्य न किया जावे, यदि अन्य कोई कार्य किया जाता है अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी।

अतः प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विपिन कुमार पटेल भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल(सा.)रीवा(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2010 रीवा, दिनांक 1-03-2019

प्रतिलिपि :–

1. उप वनमण्डलाधिकारी रीवा की ओर आपके संदर्भित पत्र क्रमांक 681 दिनांक 28.02.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी रीवा की ओर आपके संदर्भित पत्र क्रमांक 739 दिनांक 26.02.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल(सा.)रीवा(म.प्र.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा० रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 251335

क्रमांक/मा.चि./2020 रीवा, दिनांक 01-03-19

प्रति,

कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर जानकारी प्रदाय करने बावत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्र./792/खनिज/2019 रीवा, दिनांक 20.02.2019

———0———

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेसर्स/श्री रत्नेश द्विवेदी पिता श्री योगेन्द्र द्विवेदी खनिज उत्खनन पट्टा पत्थर यांत्रिकीय विधि से गिट्टी निर्माण हेतु क्षेत्रफल रकवा 1.261 हेक्टेयर में माईनिंग के लिये लीज अवधि दिनांक 20.02.2019 से खसरा नम्बर 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 184/1/3, 184/1/4 ग्राम कौआढ़ान तहसील हुजूर जिला रीवा हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिषिष्ट 01 में बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	निर्धारित बिन्दु	हॉं/नहीं	जानकारी विवरण (यदि हॉं तो सम्पूर्ण विवरण दें)
1	क्या 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क स्थित है ?	नहीं	
2	क्या 10 कि.मी. की परिधि में कोई अभ्यारण्य स्थित है ?	नहीं	
3	क्या 10 कि.मी. की परिधि में कोई जैव विविधता क्षेत्र स्थित है ?	नहीं	
4	क्या 250 मीटर की परिधि में कोई वनक्षेत्र स्थित है। (यदि हॉं तो दिनांक 07.10.2002 से 29.08.2008 तक स्वीकृति माईनिंग लीज के लिये संबंधित जिला पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 29.08.2008 के बाद वाली माईनिंग लीज के लिए प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)	नहीं	

वनमण्डलाधिकारी
(वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइयां
तहसील हुजूर ग्रामीण जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा,दिनांक 26/02/2019

कमांक/437/रीडर/वृत्त बनकुइयां/ 2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
(खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

विषयः–पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर जानकारी प्रदाय करने बावत्।

संदर्भः–श्रीमान् का पत्र कमांक 792/खनिज/2019 रीवा,दिनांक 20.02.2019

—00—

उपरोक्त-विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा म.प्र. के पत्र कमांक 792/खनिज/2019 रीवा,दिनांक 20.02.2019 के सम्बन्ध में ग्राम कौवाढ़न तह. हुजूर, राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइयां, पटवारी हल्का धौचट के खसरा नम्बर 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 184/1/3, 184/1/4 कुल रकवा 1.261 हे. में खनिज पत्थर यांत्रिकी विधि से मेंसर्स रत्नेश द्विवेदी पिता योगेन्द्र द्विवेदी द्वारा उत्खनि पट्टा आवेदन में पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर पटवारी हल्का धौचट से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन लिया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

नायब तहसीलदार
वृत्त बनकुइयां
तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

| 184 / 1 / " |

पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिन्दु

	निर्धारित बिन्दु	वस्तुस्थिति
1.	क्या 10 कि.मी. की दूरी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / जैवविविधता स्थित है? तो उसकी दूरी	नहीं है।
2.	खनिपट्टा / उत्खनिपट्टा / घोष विक्रय खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी कितनी है?	वन नहीं है।
3.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित है? तो उसकी दूरी	नहीं है।
4.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर स्थित है? तो उसकी दूरी	नहीं है।
5.	500 मीटर की परिधि में स्वीकृत अन्य खनिपट्टा / लीज की जानकारी (रेत के प्रकरण में यह जानकारी 1000 मीटर रहेगी)	–
6.	रेत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम	नदी नहीं है।

15.02.2019
पटवारी (ह.ल.) घोघट
हल्का 11

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / १०५२ / खनिज / 2019 रीवा दिनांक – 7-3-19

प्रति,

श्री रत्नेश द्विवेदी
आत्मज श्री योगेन्द्र द्विवेदी
निवासी 23 / 13 गणेश नगर
गोड़हर, रेल्वे स्टेशन के पास
तहसील हुजूर
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– ग्राम कौआढ़ान तहसील हुजूर जिला रीवा के ख.क्र. 192, 193, 194, 195 / 1, 195 / 2, 196 / 1, 196 / 2, 184 / 1 / 3, 184 / 1 / 4 के रकबा 01.261 हे. में स्वीकृत उत्खनिपट्‌टा पर पर्यावरणीय स्वीकृत की कार्यवाही बाबत्।

--x--x--x--

श्री रत्नेश द्विवेदी आत्मज श्री योगेन्द्र द्विवेदी को ग्राम कौआढ़ान तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. के ख.क्र. 192, 193, 194, 195 / 1, 195 / 2, 196 / 1, 196 / 2, 184 / 1 / 3, 184 / 1 / 4 के रकबा 01.261 हे. में खनिज पत्थर (यांत्रिकी विधि से गिट्‌टी निर्माण) का उत्खनिपट्‌टा अवधि 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृत प्रदान की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृत की कार्यवाही हेतु उक्त क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में स्वीकृत उत्खनिपट्‌टा की जानकारी के संबंध में सहायक मानचित्रकार का प्रतिवेदन संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

प्रति,

प्रभारी अधिकारी

खनिज शाखा टीका. म.प्र.

विषय – पर्यावरणीय सम्मति हेतु दिया गया निर्धारित बिन्दुओं पर जानकारी बाबत्।

सन्दर्भ – कार्यालय पत्र क्र. 792 खनिज टीका 20.2.2019

—1—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम कौड़ाबाब तह. पृथ्वीपुर जिला टीका ख.नं. 192 से 196 184/113,119 रकबा 01.261 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर गिट्टी हेतु श्री रत्नेश द्विवेदी S/o विनोद द्विवेदी द्वारा उत्खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया गया है इसके पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित जानकारी के सम्बन्ध कार्यालयीन अभिलेखानुसार उक्त क्षेत्र के 500 मीटर के अन्दर निम्नानुसार खदान (उत्खनिपट्टा) स्वीकृत है।

1. ग्राम कौड़ाबाब ख.नं. 253 रकबा 0.724 हे. खनिज पत्थर गिट्टी उत्खनिपट्टा अवधि 04.07.2011 से 3.7.2021 तक दिया प्रकाश श्रीवास्तव को स्वीकृत है।

प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित

[signature]
…/3/19

सहा. मानचित्रकार
खनिज शाखा
टीका.

Put up
ME-III
[signature]

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रीवा (म.प्र.)

E-mail- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक/ /खनिज/2019 रीवा दिनांक ______

"आदेश"

प्रति,

श्री रत्नेश द्विवेदी
पिता श्री योगेन्द्र द्विवेदी
निवासी 23/13 गणेश नगर
गोड़हर, रेल्वे स्टेशन के पास रीवा
तहसील हुजूर
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– जिला रीवा के तहसील हुजूर ग्राम कौआढान के खसरा क्रमांक 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 184/1/3, 184/1/4 रकवा 01.200 हे0 क्षेत्र में खनिज पत्थर (यांत्रिक किया द्वारा क्रेशर से गिट्टी निर्माण) उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2019 स्वीकृत विषयक।

--x-x-x--

जिला रीवा के तहसील हुजूर ग्राम कौआढान के खसरा क्रमांक 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 184/1/3, 184/1/4 रकवा 01.200 हे0 क्षेत्र में खनिज पत्थर (यांत्रिक किया द्वारा क्रेशर से गिट्टी निर्माण) उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2019 को प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय के पत्र क्रमांक 996 दिनांक 02.03.2019 द्वारा आवेदक को अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। जिसके अनुपालन में राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आवेदक द्वारा अनुमोदित खनन योजना कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। राजस्व, वन, ग्रामसभा, क्षेत्रीय प्रमुख एवं खनि निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों/सम्मति की अनुशंसा के आधार पर एवं कार्यालयीन मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदित उपलब्ध क्षेत्र रकवा 01.200 हे0 में म.प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 18 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्न शर्तों पर खनिज पत्थर (यांत्रिक किया द्वारा केशर से गिट्टी निर्माण) का उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया जाता है :–

1. <u>आवेदक का नाम व पता :–</u>
   श्री रत्नेश द्विवेदी
   पिता श्री योगेन्द्र द्विवेदी
   निवासी 23/13 गणेश नगर
   गोड़हर, रेल्वे स्टेशन के पास रीवा
   तहसील हुजूर
   जिला रीवा (म.प्र.)

2. <u>स्वीकृत क्षेत्र :–</u>
   ग्राम कौआढान तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
   खसरा क्रमांक 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 184/1/3, 184/1/4
   रकवा 01.200 हे0 क्षेत्र
   (मानचित्र में दर्शित अनुसार)

3. <u>गौण खनिज का नाम :–</u>
   यांत्रिक किया द्वारा गिट्टी बनाने के लिये पत्थर
   (अर्थात क्रशर के उपयोग हेतु)

4. <u>अवधि :–</u>
   10 वर्ष (दस वर्ष)

Scanned by CamScanner

5. भू–परिमाप :– थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।

6. खनिज बकाया :– अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज बकाया तो नहीं है।

7. वन संरक्षण अधिनियम :– यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि, आवेदक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

8. पर्यावरण की स्वीकृति :– खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व, अधिनियम/नियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (संशोधन दिनांक 09.09.2013) के तहत पर्यावरण की अनुमत (सिया/डिया की अनुमति)/प्राप्त की जाना अनिवार्य होगी।

9. अन्य शर्ते :– 1–यदि प्रश्नाधीन क्षेत्र प्रदेश के पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वह प्रस्ताव संबंधित केन्द्रीय विधान/राज्य के विधि/नियम/नियमन, न्यायालयीन निर्णय आदि (Central Legislation/ State Law/Rules/Regulation, court case etc.) के अनुवर्ती (Compliant) रहेगा।

2–यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी न्यायालय के ऐसे कोई आदेश न हो जो प्रश्नाधीन खनि रियायत की ग्रांट को प्रभावित करते हों।

अतः यदि आपको उपरोक्त शर्ते मान्य हो तो उत्खनिपट्टा स्वीकृति दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुए भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख निष्पादन नही किया जाता है तो उत्खनिपट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहृत (Revoke) समझा जावेगा।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक/ 3084 /खनिज/2019 रीवा दिनांक : 11/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन अभिकरण, पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.)
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रीवा म.प्र.।
3. अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला रीवा।

Scanned by CamScanner

4. क्षेत्रीय प्रमुख, भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा म.प्र.।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रीवा।
6. खनि निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.।
7. ग्राम पंचायत तिघरा तहसील हुजूर जिला रीवा।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रभारी अधिकारी खनिज-
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म.प्र

Scanned by CamScanner

नक्शा ट्रेस

ग्राम - सीवाडान (114)
पटवारी हल्का - चौरवट
क्रमांक - 11
रा० नि० मं० - बनकुइयाँ
तहसील - हुजूर
जिला - रीवा (म०प्र०)

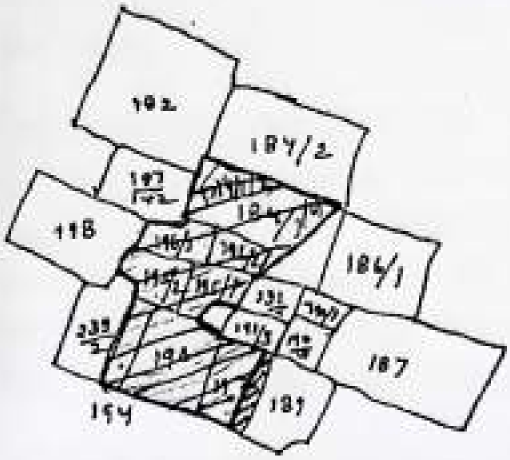

चौथ मुताबिक अभिलेख नक्शा नजरी ... कर दिया

25.02.2019
पटवारी हल्का
चौरवट (11)

प्रभावित क्षेत्र

- उत्खनिपट्टा हेतु उपलब्ध / प्रस्तावित

- सुरक्षापट्टी

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि							खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल		कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल						
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती		अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
184/1/3	0.083	बैजनाथ साकेत पिता अर्जुन साकेत जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184/1/4	0.163	दशई प्रसाद साकेत पिता अर्जुन साकेत पता सा. देह भूमि स्वामी									

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि							खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल		कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल						
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती		अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
192	0.198	सरजू पिता सूर्यदीन पता सा.देह भूमि स्वामी											

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी ।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	0.296	बैजनाथ,जगन्नाथ,विश्वनाथ,दसई पि.अर्जुन जाति चमार पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी रामविश्वास,भूरे पि.कुवारे पता सा.देह 1/3 बराबर भाग भूमि स्वामी शारदा उर्फललई पि.सुदामा पता सा.निपनिया,रीवा 1/3 भाग भूमि स्वामी									

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी ।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	0.101	बैजनाथ,जगन्नाथ,विश्वनाथ,दसई पि.अर्जुन जाति चमार पता सा.देह 1/3 भाग भूमि स्वामी रामविश्वास,भूरे पि.कुवारे पता सा.देह 1/3 बराबर भाग भूमि स्वामी शारदा उर्फललई पि.सुदामा पता सा.निपनिया,रीवा 1/3 भाग भूमि स्वामी									

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195/1	0.129	शारदा उर्फ ललई पिता सुदामा पता हाल मुकाम -निपनिया भूमि स्वामी									

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी ।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुज़ूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195/2	0.125	शारदा उर्फ ललई पिता सुदामा पता हाल मुकाम -निपनिया भूमि स्वामी									

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी ।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196/1	0.081	दशई प्रसाद साकेत पिता अर्जुन साकेत पता सा. देह भूमि स्वामी									

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी ।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में
फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है
खाना 5 से 11 में खरीफ की जानकारी वर्ष 2017 की है
खाना 5 से 11 में रबी की जानकारी वर्ष 2018 की है

फार्म पी -II

नक्शा | किश्तबन्दी फार्म बी-1

NIC-CLRMP

खसरा

ग्राम	कौवाढान-114	हल्का	धौचट	रा.नि.म.	वन कुइयां	तहसील	हुजूर	जिला	रीवा	वर्ष	2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि							खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल		कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल						
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती		अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
196/2	0.085	शारदा उर्फ ललई पिता सुदामा पता हाल मुकाम -निपनिया भूमि स्वामी											

नोट- यह प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर) उपरांत मान्य होगी।

Printed on : 18/3/2019
10.139.210.5

कार्यालय ग्राम पंचायत तिघरा

विकास खण्ड रीवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

सुरेश कुमार साकेत
सरपंच
ग्राम पंचायत तिघरा
जिला-रीवा (म.प्र.)

निवास :-
ग्राम तिघरा, पोस्ट-कपूर
जिला-रीवा (म.प्र.)
मो0 8358895943

क्रमांक 167/ग्रा.पं./2019

दिनांक 26.02.2019

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 26-2-2019 को आवेदक श्री [illegible] द्विवेदी निवासी ग्राम [illegible] द्वारा [illegible] आराजी क्र. 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/[illegible], [illegible], 197/1/3, 197/1/4 का कुल रकबा 1.261 हेक्टे. के पत्थर उत्खनन हेतु अनापत्ति चाही गई।

चूंकि उक्त आराजी आवेदक श्री रजनीश द्विवेदी पिता श्री योगेन्द्र द्विवेदी की निजी स्वामित्व की भूमि है।

इसलिए आवेदक द्वारा यदि खनिज नियमानुसार [illegible] पर उत्खनन एवं परिवहन कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत तिघरा को किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत तिघरा
ज.पं. रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत सिरसा विकास खण्ड रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

प्रस्ताव क्रमांक एवं संक्षिप्त विषय	ग्राम सभा 28-2-2019 की बैठक कार्यवाही
प्रस्ताव क्र. 03 सर्वसम्मति से पारित	आज दिनांक 28-2-2019 को ग्राम सभा का आयोजन पूर्व सूचना अनुसार ग्राम पंचायत [illegible] सिरसा में आयोजित की गई। ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार प्रारंभ हुई। ग्राम सभा में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्र. 791/खनिज/2018 रीवा दिनांक 20-2-18 के संदर्भ में ग्राम सभा में विचार किया गया। जिसमें आवेदक [illegible] द्विवेदी [illegible] द्विवेदी [illegible] रीवा द्वारा ग्राम की आराजी खसरा क्रमांक 172, 173, 174, 195/1, 195/2, 176/1, 176/2, 184/1/3, 184/1/4 कुल रकबा 1.261 हेक्टेयर के ऊपर [illegible] निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विषय पर ग्राम सभा ने [illegible] की गई। चूंकि उक्त [illegible] आवेदक श्री [illegible] द्विवेदी [illegible] द्विवेदी की निजी [illegible] [illegible] रीवा से [illegible] ग्राम सभा [illegible] निर्णय लिया कि आवेदक [illegible] [illegible] की कोई आपत्ति नहीं होगी। निर्णय सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत सिरसा
जनपद पंचायत रीवा, जिला रीवा

सरपंच
ग्राम पंचायत सिरसा
जनपद पंचायत रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner